निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

# बिहार गजट
## असाधारण अंक
## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

**18 श्रावण 1943 (श0)**
**(सं0 पटना 674) पटना, सोमवार, 9 अगस्त 2021**

fof/k foHkkx

---

**अधिसूचना**

**9 अगस्त 2021**

सं० एल०जी०01–13/2021–4281/लेज।——बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 06 अगस्त 2021 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

fcgkj&jkT;iky d vkns'k ls]
**पी०सी०चौधरी,**
ljdkj d lfpoA

[fcgkj vf/kfu;e 17] 2021]

**बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2021**

**बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम, 6, 2006) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।**

**भारत–गणराज्य के बहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–**

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।–**

(1) यह अधिनियम बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा सिवाय उन क्षेत्रों के जहाँ बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम सं0 11, 2007) या कन्टोन्मेंट अधिनियम, 1924 (अधिनियम ii, 1924) के उपबंध लागू हैं।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

**2. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (अधिनियम 6, 2006) की धारा 14 का संशोधन।– उक्त अधिनियम की धारा 14 की उप–धारा (4) के बाद निम्न नई उप–धारा (5) जोड़ी जायेगी :–**

''(5) धारा 14 की उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट पांच वर्षो की अवधि के अवसान के पूर्व यदि किसी कारण से किसी ग्राम पंचायत का आम निर्वाचन कराना संभव नहीं हो, तो उक्त अवधि के अवसान पर वह ग्राम पंचायत भंग हो जायेगी और इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ग्राम पंचायत में निहित सभी शक्ति और कृत्यों का प्रयोग या संपादन, ऐसी परामर्शी समिति द्वारा किया जायेगा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त गठित करे।''

**3. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (अधिनियम 6, 2006) की धारा 39 का संशोधन।– उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप–धारा (4) के बाद निम्न नई उप–धारा (5) जोड़ी जायेगी :–**

''(5) धारा 39 की उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट पांच वर्षो की अवधि के अवसान के पूर्व यदि किसी कारण से किसी पंचायत समिति का आम निर्वाचन कराना संभव नहीं हो, तो उक्त अवधि के अवसान पर वह पंचायत समिति भंग हो जायेगी और इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पंचायत समिति में निहित सभी शक्ति और कृत्यों का प्रयोग या संपादन, ऐसी परामर्शी समिति द्वारा किया जायेगा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त गठित करे।''

**4. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (अधिनियम 6, 2006) की धारा 60 का संशोधन।– उक्त अधिनियम की धारा 60 की उप–धारा (1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा :–**

''सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को नियुक्त करेगी।''

**5. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (अधिनियम 6, 2006) की धारा 66 का संशोधन।– उक्त अधिनियम की धारा 66 की उप–धारा (4) के बाद निम्न नई उप–धारा (5) जोड़ी जायेगी :–**

''(5) धारा 66 की उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट पांच वर्षो की अवधि के अवसान के पूर्व यदि किसी कारण से किसी जिला परिषद् का आम निर्वाचन कराना संभव नहीं हो, तो उक्त अवधि के अवसान पर वह जिला परिषद भंग हो जायेगी और इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जिला परिषद में निहित सभी शक्ति और कृत्यों का प्रयोग या संपादन, ऐसी परामर्शी समिति द्वारा किया जायेगा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त गठित करे।''

**6. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (अधिनियम 6, 2006) की धारा 87 का संशोधन। – उक्त अधिनियम की धारा 87 की उप–धारा (1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा :–**

''बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव अथवा उससे अन्यून पंक्ति का पदाधिकारी, जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, अनन्य रूप से जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा। सरकार किसी जिला परिषद् के लिए यथाविहित बंधेजों एवं शर्त्तों पर एक अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगी।''

**7. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (अधिनियम 6, 2006) की धारा 92 का संशोधन।– उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप–धारा (3) के बाद निम्न नई उप–धारा (4) जोड़ी जायेगी :–**

''धारा 92 की उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट पांच वर्षो की अवधि के अवसान के पूर्व यदि किसी कारण से किसी ग्राम कचहरी का आम निर्वाचन कराना संभव नहीं हो, तो उक्त अवधि के अवसान पर वह ग्राम कचहरी भंग हो जायेगी और इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ग्राम कचहरी में निहित सभी शक्ति और कृत्यों का प्रयोग या संपादन ऐसी परामर्शी समिति द्वारा किया जायेगा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त गठित करे।''

8. निरसन एवं व्यावृत्ति।–

(1) बिहार पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (बिहार अध्यादेश–03, 2021) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

ihŒlhŒpk/kjh]
ljdkj d lfpoA

**9 अगस्त 2021**

सं० एल०जी०–01–13/2021&4282@yst—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 6 अगस्त 2021 को अनुमत **बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2021** ¼fcgkj vf/fu;e 17] 2021½ का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

fcgkj&jkT;iky d vkns'k l]
ihŒlhŒpk/kjh]
ljdkj d lfpoA

**[Bihar Act 17, 2021]**

**THE BIHAR PANCHAYAT RAJ (AMENDMENT) ACT, 2021**

AN

ACT

To amend the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 (Bihar Act 6, 2006)

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy Second year of the Republic of India as follows:-

**1.** ***Short title, extent and commencement.—***

(i) This Act may be called the Bihar Panchayat Raj (Amendment) Act, 2021

(ii) It shall extend to whole of the State of Bihar excepting the areas to which the provisions of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act No. 11 of 2007) or Cantonment Act, 1924, (Act II of 1924) apply.

(iii) It shall come into force from date of publication in Official Gazette.

***2. Amendment of Section 14 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 (Act 6 of 2006) - A new sub-section (5) shall be added after sub-section (4) of Section 14 of the said Act as following:-***

" (5) If for any reason, it is not possible to hold the general election of a Gram Panchayat before the expiry of a period of five years specified in sub-section (1) of Section 14, the Gram Panchayat shall stand dissolved on the expiration of the said period and all the powers and functions vested in the Gram Panchayat under this Act or under any other law for the time being in force shall be exercised or performed by an Advisory Committee which the State Government may, by notification, constitute for this purpose."

***3. Amendment of Section 39 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 (Act 6 of 2006) - A new Sub section (5) shall be added after sub-section (4) of Section 39 of the said Act as following:-***

"(5) If for any reason, it is not possible to hold the general election of a Panchayat Samiti before the expiry of a period of five years specified in sub-section (1) of section 39, the Panchayat Samiti shall stand dissolved on the expiration of the said period and all the powers and functions vested in the Panchayat Samiti under this Act or under any other law for the time being in force shall be exercised or performed by an Advisory Committee

which the State Government may, by notification, constitute for this purpose."

**4.** ***Amendment of Section 60 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 (Act 6 of 2006) - Sub section (1) of Section 60 of the said Act shall be substituted by the following:-***

"The Government shall appoint the Block Panchayat Raj Officer as Exectutive Officer of the Panchayat Samiti."

**5.** ***Amendment of Section 66 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 (Act 6 of 2006) - A new Sub section (5) shall be added after sub-section (4) of Section 66 of the said Act as following:-***

"(5) If for any reason, it is not possible to hold the general election of a Zila Parishad before the expiry of a period of five years specified in sub-section (1) of section 66, the Zila Parishad shall stand dissolved on the expiration of the said period and all the powers and functions vested in the Zila Parishad under this Act or under any other law for the time being in force shall be exercised or performed by an Advisory Committee which the State Government may, by notification, constitute for this purpose."

**6.** ***Amendment of Section 87 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 (Act 6 of 2006) - Sub section (1) of Section 87 of the said Act shall be substituted by the following :-***

"The Government shall appoint an officer of the rank of Deputy Secretary or above, as may be specified by the Government, exclusively as Chief Exectutive Officer of the Zila Parishad. The Government may appoint an Additional Chief Executive Officer for a Zila Parishad on such terms and conditions as may be prescribed."

**7.** ***Amendment of Section 92 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 (Act 6 of 2006) - A new Sub section (4) shall be added after sub-section (3) of Section 92 of the said Act as following:-***

"(4) If for any reason, it is not possible to hold the general election of a Gram Katchahry before the expiry of a period of five years specified in sub-section (1) of section 92, the Gram Katchahry shall stand dissolved on the expiration of the said period and all the powers and functions vested in the Gram Katchahry under this Act or under any other law for the time being in force shall be exercised or performed by an Advisory Committee which the State Government may, by notification, constitute for this purpose."

**8.** ***Repeal and Savings*** **:-**

(1) The Bihar Panchayat Raj (Amendment) Ordinance, 2021, (Bihar Ordinance No-03, 2021) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act were in force or the day on which such thing was done or such action was taken.

**P.C.CHOUDHARY,**
*Secretary to the Government.*

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 674-571+400-डी0टी0पी0।
**Website: http://egazette.bih.nic.in**